

वैकल्पिक भूमि से सम्बन्धित प्रमाण पत्र

जनपद इटावा के अन्तर्गत इटावा-ग्वालियर मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-92 (नया राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-719) के किमी०-70.500 से 74.700 तक के भाग का चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण में 6.930 हे० वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग की वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत अनुमति प्रदान किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव में प्रमाणित किया जाता है कि परियोजना में प्रभावित वनभूमि के बदले अन्य कोई विकल्प नहीं है तथा आवेदित 6.930 हे० संरक्षित वनभूमि की मांग न्यूनतम है।

स्थान- इटावा

दिनांक- 14-07-2022

(शिव प्रसाद)
क्षेत्रीय वनाधिकारी
बढ़पुरा (इटावा)

(अतुल कान्त शुक्ला)
प्रभागीय निदेशक
समाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा